न्यायालय उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, जिला–उदयपुर
पीठासीन अधिकारी अपर्णा गुप्ता, आई.ए.एस.

प्रकरण संख्या 70 / 2021 (128 एल.आर. एक्ट) प्रा.प.

समस्त ग्रामवासी, ग्राम पंचायत फीला जरिये मौतबीरान :–

1. श्री कालू पिता स्व. चौखा जी मीणा आयु वयस्क निवासी फीला, तहसील गिर्वा, उदयपुर
2. श्री कालु पिता स्व. धुला जी मीणा आयु वयस्क निवासी फीला, तहसील गिर्वा, उदयपुर
3. श्री लाला पिता स्व डाया जी मीणा आयु वयस्क निवासी फीला, तहसील गिर्वा, उदयपुर
4. श्री मेघा पिता स्व. गमाना जी मीणा आयु वयस्क निवासी फीला, तहसील गिर्वा, उदयपुर
5. श्री नारू पिता स्व. रामा जी मीणा आयु वयस्क निवासी फीला तहसील गिर्वा, उदयपुर
6. श्री भगवानलाल पिता भेरा जी मीणा आयु वयस्क निवासी फीला, तहसील गिर्वा, उदयपुर

प्रार्थीगण

बनाम

1. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, गिर्वा, जिला उदयपुर
2. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, सलुम्बर, जिला उदयपुर

विपक्षीगण

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956

श्री लोकेश गहलोत अधिवक्ता प्रार्थीगण उपस्थित

निर्णय

दिनांक : 22.09.2021

प्रकरण संक्षेप्त में इस प्रकार है कि प्रार्थीगण ने एक प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 128 भू–राजस्व अधिनियम का प्रस्तुतत कर अंकित किया कि मौजा फीला, पटवार हल्का फीला, तहसील गिर्वा, जिला उदयपुर खाता संख्या 454 की आराजी संख्या 3221 / 3039 [illegible] हेक्टेयर कृषि भूमि गांव के व्यक्ति प्रार्थी संख्या 6 के खातेदारी एवं आधिप[illegible] जेतपुरा, तहसील सलुम्बर की सीमा से दूर स्थित है। [illegible] के मध्य सीमा के निशानांत नहीं होने की [illegible] से गांव जेतपुरा [illegible] सलुम्बर के लोग प्रार्थीगण के गांव फील की कृषि भूमि में अवैध तौर पर प्रवेश कर जाते है और यहां के काश्तकारों की भूमि को खुर्द–बुर्द [illegible] इस

Signature Not Verified
Digitally signed by Aparna Gupta
Date: 2022.01.05 15:41:33 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी गिर्वा, उदयपुर

आशय से करते है कि यह सभी जमीने हमारे गांव जेतपुरा तहसील सलुम्बर की है, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं है। अभी हाल ही में प्रार्थी संख्या 6 की खातेदारी की भूमि में भी गांव जेतपुरा तहसील सलुम्बर के लोग क्रमशः रोडीलाल उर्फ रोडा पिता हामा जी मीणा, धन्ना पिता कालू जी मीणा व वरदा पिता चौखा जी मीणा सर्वनिवासियान उपली हाबल, जेतपुरा, तहसील सलुम्बर जेसीबी मशीन लेकर घुस गए और उक्त भूमि के चारों दिशाओं में भूमि की सुरक्षा हेतु 5 फीट उंची पक्की कोट को तोड दिया गया।

अतः निवेदन है कि राजस्व ग्राम फीला, तहसील गिर्वा, व जेतपुरा, तहसील सलुम्बर जिला उदयपुर के बीच सीमा पर वास्तविक पत्थरगढी करवाए जाने का आदेश प्रदान कराया जावे।

प्रकरण दर्ज रजिस्ट्रर किया जाकर विपक्षीगण को जरिये सम्मन सूचित किया गया विपक्षीगण द्वारा जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया है प्रकरण में प्रार्थीगण के अधिवक्ता की बहस सुनी गई।

प्रार्थी अधिवक्ता की बहस सूनी गई, पत्रावली पर उपलब्ध राजस्व अभिलेखों का अवलोकन किया। वादग्रस्त भूमि राजस्व रेकार्ड जमाबंदी संवत 2070 से 2073 में प्रार्थी के नाम दर्ज रेकार्ड है वादग्रस्त भूमि में प्रार्थी संख्या 6 खातेदार काश्तकार है। न्यायालय का निष्कर्ष है कि उक्त वर्णित कृषि भूमि का प्रार्थी स्वयं खातेदार काश्तकार है, प्रार्थी को अपनी भूमि की सीमांकन करा पत्थर गढी कराने अधिकारी है।

अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र 128 एल.आर.एक्ट का स्वीकार किया जाकर तहसीलदार गिर्वा को 1000/– रु. के शुल्क पर कमिशनर नियुक्त करते हुए आदेश दिया जाता हैं कि उभयपक्ष की उपस्थिति में नकल जमाबन्दी सम्वत् सम्वत् 2070 से 2073 खाता संख्या खाता संख्या 454 की आराजी संख्या 3221 /3039 रकबा 1.5000 हेक्टयर भूमि के सीमांकन कर पत्थरगढी की कार्यवाही करावे। निर्णय सरेइजलास सूनाया गया।

प्रकरण शुमार फैसल होकर नम्बर से कम हो।

(अपर्णा गुप्ता)
आई.ए.एस.
उपखण्ड अधिकारी

Signature Not Verified

Digitally signed by Aparna Gupta
Date: 2022.01.05 15:41:33 IST
Reason: SelfAttested